फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गिरीशकुमार बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136, 131 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या 25/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक 27.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण मे तहसीलदार भीण्डर से जवाब रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहें। तहसीलदार भीण्डर द्वारा पृथक से जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहा व रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त खसरा संख्या 7399 रकबा 0.3200 है. भूमि व खसरा संख्या 7396 रकबा 0.1000 है. भूमि का नवीन नक्शा ट्रेस मे रकबा अनुसार अंकन नहीं हुआ है। नवीन नक्शा ट्रेस मे खसरा संख्या 7399 की भूमि को खसरा संख्या 7396 मे अंकित कर दिया गया है जिससे नवीन नक्शा ट्रेस मे अशुद्धि दर्ज हो गई जिसे संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमे बताया कि राजस्व ग्राम भीण्डर की जमाबन्दी संवत 2068–71 के खाता सं. 1420 मे साबिक खसरा नं. 2605 रकबा 1–10 बीघा एवं खाता सं 529 मे साबिक खसरा नं. 2607 रकबा 0–09 बीघा भूमि खातेदार श्री गिरीश कुमार पिता राम प्रकाश सोनी सा. भीण्डर के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। भू–प्रबन्धन उपरान्त नवीन रिकार्ड लागू होने पर वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078–81 मे खाता सं. 379 मे हाल खसरा नं. 7399 रकबा 0.32 है. (मिलान क्षै. अनुसार साबिक खसरा संख्या 2605) तथा खाता संख्या 381 मे हाल खसरा संख्या 7396 रकबा 0.10 है. (मिलान क्षै. अनुसार साबिक खसरा संख्या 2607) भूमि प्रार्थी खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। यह कि साबिक खसरा नं. 2605, 2607 एवं हाल खसरा सं. 7399, 7396 के नक्शे की आकृति मे परिवर्तन होकर साबिक व हाल नक्शों का मिलान नहीं होना पाया। हाल खसरा संख्या 7396 का रकबा जमाबन्दी अनुसार 0.10 है. है किन्तु वर्तमान नक्शें में इसको बडा बनाया गया है इसी प्रकार खसरा संख्या 7399 का रकबा जमाबन्दी अनुसार 0.32 है. है किन्तु वर्तमान नक्शे मे छोटा दर्ज किया गया है। अर्थात् साबिक के मुकाबले वर्तमान दोनों खसरा संख्या 7396 एवं 7399 की आकृति मे परिवर्तन होकर एक दुसरे में मिलाया गया है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि साबिक नक्शे अनुसार हाल का निरीक्षण किया जाकर हाल नक्शें में खसरा संख्या 7396 एवं 7399 की आकृति में प्रस्तावित संशोधन लाल स्याही से किया जाकर साबिक के मुकाबले तैयार कर संलग्न है।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि प्रार्थनाग्रस्त खसरा संख्या 7396, 7399 की आकृति में साबिक नक्शा ट्रेस के मुकाबले परिवर्तन होकर एक दुसरे मे मिलाया गया है जिससे प्रस्तावित संशोधित नक्शा ट्रेस पेश किया गया। तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी के नवीन नक्शा ट्रेस में साबिक के मुकाबले अशुद्धि हैं जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की परिशिष्ट (क) की आराजी संख्या 7399 रकबा 0.3200 है. व परिशिष्ट (ख) की आराजी संख्या 7396 रकबा 0.1000 है. भूमि की तरमीम तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्[illegible] हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:27:34 IST
Reason: SelfAttested